राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः– एफ.2(क)(A–188) अलेसे– I/779 दिनांकः– 06/02/2020

कार्यमुक्ति आदेश

निदेशालय, कोष एवं लेखा द्वारा जारी स्थानान्तरण आदेश संख्या 351/2018–19 दिनांक 25.02.2019 द्वारा श्री अजय कुमार गुप्ता (लिंक नम्बर 3102), सहायक लेखाधिकारी ग्रेड– I का स्थानान्तरण मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर से निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण विभाग, जयपुर किया गया था। निदेशालय के पत्र क्रमांक 753 दिनांक 27.01.2020 के द्वारा पंचायत चुनावों हेतु आचार संहिता की समाप्ति तथा श्री अजय कुमार गुप्ता के स्थान पर श्री भगवत प्रसाद गुप्ता, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड– II के दिनांक 17.09.2019 को कार्यग्रहण करने के बाद कार्यमुक्त करने हेतु निवेदन किये जाने के बाद भी निदेशालय को प्राप्त सूचना के अनुसार श्री गुप्ता द्वारा आदिनांक तक नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है।

श्री गुप्ता को तत्काल उनके वर्तमान कार्यालय से **दिनांक 06.02.2020 को मध्याह्न पश्चात एतद् द्वारा कार्यमुक्त किया जाता है** तथा निर्देश दिये जाते हैं कि चूँकि श्री गुप्ता का मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर में कार्य करने का अधिकार इस कार्यमुक्ति के साथ ही समाप्त हो गया है, अतः उक्त कार्यालय से बिना किसी अन्य कार्यमुक्ति का इंतजार किए तत्काल नवीन पदस्थापन स्थान पर नियमानुसार कार्यग्रहण कर ईमेल–jdp1-ta-rj@nic.in/दूरभाष संख्या 0141–2744134/2740735 पर इस निदेशालय को सूचित करावें।

उक्त के अतिरिक्त, श्री गुप्ता को निर्देश दिये जाते है कि निदेशालय के स्थानान्तरण आदेशों एवं तत्पश्चात जारी तत्काल कार्यमुक्त होने सम्बन्धी आदेशों की पालना आदिनांक तक नहीं किये जाने के सम्बन्ध में **कारणों सहित अपना स्पष्टीकरण** 3 कार्यदिवसों के अन्दर निदेशालय को पत्र/ईमेल के माध्यम से प्रेषित करावें अन्यथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही भी प्रारम्भ कर दी जायेगी, सूचित रहें।

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांकः– एफ.2(क)(A–188) अलेसे– I/779 दिनांकः– 06/02/2020

प्रतिलिपि–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित लेखाकर्मी को नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा कार्यमुक्त किए जाने के पश्चात् अब तत्काल प्रभाव से उक्त कार्मिक का आपके विभाग में राजकीय कार्य सम्पादन करने का अधिकार समाप्त हो चुका है, अतः अब से आपके विभाग में उक्त कार्मिक से कार्य लिया जाना विधिसंगत नहीं होगा। यदि नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा कार्मिक की कार्यमुक्ति किए जाने के पश्चात् भी कार्यमुक्त हुए कार्मिक से उसके द्वारा पूर्व में धारित पद का कोई भी राजकीय कार्य आपके विभाग/कार्यालय में कराया जाता है तो उसका उत्तरदायित्व संबंधित विभाग/कार्यालय का ही होगा।
2. निदेशक, सामाजिक अंकेक्षण विभाग, जयपुर।
3. श्री अजय कुमार गुप्ता, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड– I, कार्यालय–मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर को तत्काल पालनार्थ। नियोक्ता प्राधिकारी द्वारा कार्यमुक्त कर दिए जाने के कारण उक्त कार्यालय में राजकीय कार्य सम्पादन के अधिकार की समाप्ति के उपरांत भी यदि आपने उक्त विभाग/कार्यालय में कोई राजकीय कार्य किया तो इसे अत्यन्त गम्भीरता से लिया जाएगा और आपके विरूद्ध यथेष्ट अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक–I)

ए–ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर
Website - dta.rajasthan.gov.in, E-Mail Id – aao1.dta@rajasthan.gov.in Fax-2740735, Tel.- 2744134